न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –13/2024 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2024/61

1. महेश कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल जाति माहेश्वरी निवासी केत की चौकी, साड़ी सागर के सामने, विजय मार्केट कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा
2. दिनेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल, जाति माहेश्वरी, निवासी बी–112, इन्द्रा विहार कोटा राज0
3. लोकेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल, जाति माहेश्वरी, निवासी 346, शॉपिंग सेन्टर, कोटा राज0

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बनाराजगी प्र0सं0 5/2023 निर्णय दिनांक 18.4.2023 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा, इन्तकाल नं0 936 भूमि ग्राम दसलाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

उस्थित–

1. श्री महेश माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामप्रसाद पुरोहित, बिरधीलाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2 व 3
3. पेरोकार सरकार रेस्पो0 नं0 1

निर्णय

दिनांक– 13.05.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम मण्डाना के खाता संख्या 629 के खसरानम्बर 1760/908 रकबा 0.15 हे0, खाता संख्या 628 के 1814/908 रकबा 0.18 हे0, 2126/908 रकबा 0.13 हे0, 908 रकबा 0.13 हे0 किता–3 रकबा 0.44 हे0, व ग्राम दसलाना के खाता संख्या 174 के खसरा नम्बर 313 की 0.87 हे0, 314 की 0.62 हे0, 315 की 0.01 हे0, 316 की 0.76 हे0, 411 की 3.08 हे0 किता 5 रकबा 5.34 हे0 भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.2.2017 के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 18.4.2023 जारी किया गया । तथा आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 936 दिनांक 3.07.2023 स्वीकृत किया गया ।
2. तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 18.4.2023 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.1.2024 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि तहसीलदार लाडपुरा का निर्णय दिनांक 18.4.2023 विधि के प्रावधानों एवं न्याय संचिका के सर्वमान्य सिद्वांतों के विपरीत है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि ग्राम दसलाना की भूमि श्री धूलीलाल द्वारा वर्ष 1944 में क्रय की गयी थी एवं इस आधार पर यह भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 एवं स्वयं कर्ता श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल के लिए पैतृक भूमि थी एवं कर्ता सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने से कानूनी रूप से एस्टोप्ड है । वसीयत दिनांक 15.2.2017 के निष्पादन के समय कर्ता श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल की उम्र 83 वर्ष की थी एवं प्राकृतिक सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है । श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल की मनोस्थिति भी उम्र की वजह से एवं एकाकी जीवन की वजह से बिगड चुकी थी एवं उनका इलाज वरिष्ठ मनोचिकित्सकों श्री एम.एल. अग्रवाल, श्री

जिला कलेक्टर

भरतसिंह शेखावत व श्री वीरेन्द्र मेवाडा द्वारा किया गया था एंव चल रहा था, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की वसीयत कानून रूप से कोई प्रभाव नहीं रखती है । इन तथ्यों पर गौर किये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 को एकतरफा सुनकर कानूनी दायरे से बाहर जाकर निर्णय किया गया है जो निरस्तनीय है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रसाद पुरोहित, बिरधीलाल का वकालतनामा पेश हुआ पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट 2 व 3 द्वारा जवाब व लिखित बहस एवं लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया । वकील अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस का जवाब एवं लिमिटेशन की धारा 5 का जवाब उल जवाब पेश किया । वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस भी सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की होने व सेल डीड दिए जाने का कथन स्वयं वसीयतकर्ता श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल ने भी अपनी वसीयत दिनांक 14.5.2009में पृष्ठ संख्या 06 पर आलेखित किया है । दिनांक 30.9.2015 की वसीयत में वसीयतकर्ता ने पृष्ठ संख्या 02 पर यह आलेखित किया है कि मेरे पिताजी श्री धूलीलाल जी ने कृषि भूमि ग्राम दसलाना तह0 लाडपुरा में मेरे व मेरे बडे भाई मोहनलाल जी के नाम से रजिस्ट्री कराकर खरीदी । इन दोनों वसीयतों से यह स्थिति स्पष्ट है कि श्री धूलीलाल जी द्वारा ग्राम दसलाना की जमीन क्रय की जाने से यह अपीलान्ट की पैतृक भूमि है । दिनांक 15.2.2017 की वसीयत अथवा इससे पूर्व की सभी वसीयते रजिस्टर्ड होने के समय वसीयतकर्ता श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल द्वारा यह कन्डीशन डाल दी गई कि वसीयत श्री शील कुमार बिडला एडवोकेट के पास रहेगी एवं उन्ही के द्वारा वसीयत का निष्पादन कराया जावेगा जबकि श्री शील कुमार बिडला द्वारा अपीलान्ट को प्रेषित जवाब नोटिस में यह कथन किया गया कि श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल द्वारा उनके पास कोई वसीयत नही रखी गई है । वसीयतकर्ता श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल ने यह कन्डीशन इसलिए डाली क्योंकि रेस्पो0 क्रम 2 व 3 उन पर दबाव डालकर वसीयत निष्पादन करालें लेकिन लक्ष्मीनारयण खुवाल नहीं चाहते थे कि वसीयत का निष्पादन हो इसलिए उनके द्वारा असल वसीयते किसी भी पक्ष को नही दी गई ।असल वसीयत दिनांक 15.2.2017 का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में उसकी प्रमाणित प्रति को किसी भी न्यायालय द्वारा साक्ष्य में अथवा एडमिशन में नहीं लिया जा सकता है । अपीलान्ट द्वारा सिविल वाद किए जाने की जानकारी प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार लाडपुरा को लिखित में दे दी गई थी एवं तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को विश्वास दिया गया था कि वसीयत दिनांक 15.2.2017 न्यायालय में विवादित होने के कारण उनका इन्तकाल नहीं खोला जावेगा एवं कार्यवाही होने पर अपीलान्ट को सूचित किए बिना ही इन्तकाल दिनांक 18.4.2023 को खोल दिया गया जो काबिल निरस्तनीय है । रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3द्वारा आर आर डी 2005 की रूलिंग का जो हवाला दिया गया है वह इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है, रक्षदेवी बनाम पशुपति नाथ ने हितबद्व व्यक्ति के पास असल वसीयत थी जबकि यहां वसीयत कन्डीशनल है एवं केवल शील कुमार बिडला द्वारा ही निष्पादन कराई जा सकती है । असल वसीयत के अभाव में केवल प्रमाणित प्रति के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस एवं जवाब में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं थी, वादग्रस्त आराजी के सन 1944 में ही क्रेता एवं खातेदार काबिज लक्ष्मीनारायण जी हो गए न कि धूलीलाल जी धूलीलाल जी कभी वादग्रस्त आराजी के न तो खातेदार थे और ना ही क्रेता थे, इसलिए अपीलान्ट उक्त भूमि में से कोई अधिकार लक्ष्मीनारायण जी की वादग्रस्त आराजी की वसीयत सन 2017 से स्व0 लक्ष्मीनारायण जी सन 2020 में स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुए । अपीलान्ट द्वारा लक्ष्मीनारायण जी की वसीयत सन 2017 को नल एण्ड वोइड, बेअसर घोषित कराने के लिए दो सिविल न्यायालयों में रेस्पोडेन्ट के विरूद्व वाद दायर कर रखा है, कि " लक्ष्मीनारायण जी की वसीयत फर्जी व बनावटी है, संयुक्त हिन्दू परिवार की है अथवा लक्ष्मीनारायण जी मानसिक रूप से अस्वस्थ थे उनको अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था ।" लक्ष्मीनारायण जी के पास उनकी सम्पत्ति

जिला कलेक्टर
कोटा

पैतृक थी या उनकी स्वयं की सम्पत्ति थी । माननीय सिविल न्यायालय को ही ऐसी घोषणा का श्रवण क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो सभी उपरोक्त बिन्दु सिविल न्यायालयों में विचाराधीन है । तथा माननीय न्यायालय का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उपरोक्त विवादित मामलों में श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार बाधित है । अपील अन्तर्गत मेमों कथन एवं समस्त प्रकरण सिविल न्यायालयों एवं अपर जिला न्यायाधीश के यहां जैरकार है जहां दोनों न्यायालयों में अपीलान्ट ने वादग्रस्त वसीयत दिनांक 15.2.2017 को चुनौती दे रखी है । लक्ष्मीनारायण जी खुवाल द्वारा अपनी वसीयत दिनांक 7.8. 2009 व सन 2011 सन 2015 की वसीयतों को निरस्त किया जा चुका है इन वसीयतों का आदेश तहसीलदार दिनांक 18.4.2023 से कोई सम्बन्ध नहीं है । जैर अपील आदेश दिनांक 18.4.2023 वसीयत लक्ष्मीनारायण जी वादग्रस्त वसीयत दिनांक 15.2.2017 से सम्बन्धित है । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा लक्ष्मीनारायण जी की मनोस्थिति का लाभ उठाकर दिनांक 15.2.2017 वसीयत लिखी थी एवं कन्डीशनल थी तथा अपीलान्ट कथनानुसार इस चरण में उपरोक्त वसीयत लक्ष्मीनारायण जी की वसीयत सन 2017 प्रभावी हुई या नहीं हुई समस्त प्रकरण क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालयों में सन 2020 से पक्षकार के बीच चल रहे सिविल के श्रवण क्षैत्राधिकार में है । अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त वसीयत सन 2017 के सभी प्रकरण व बिन्दु सिविल न्यायालय में होने की जानकारी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को दी थी लेकिन कभी भी अपीलान्ट ने वसीयत दिनांक 15.2.2017 की कियान्वयन पर स्टे प्राप्त नहीं किया है न ही आज तक किसी भी न्यायालय में वसीयत सन 2017 पर रोक लगाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए आदेश जैर अपील दिनांक 18.4.2023 में कोई विसंगती नहीं बताई गई है जिससे रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इन्तकाल को खोलने से रोका जा सकें । इन्तकाल अगर रोकना था तो सिविल न्यायालय से इन्तकाल खोलने पर सन 2020 में ही स्टे लिया जा सकता था । अपील के समस्त चरणों की विषयवस्तु सिविल न्यायालयों में विचाराधीन है । आरआरडी सन 2005 श्रीमती रक्षादेवी बनाम पशुपतिनाथ व अन्य पेज नं0 87 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 07 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय व अपनी रूलिंगस का हवाला देते हुए पेज नं0 89 पर माना है कि नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राई टाईटल का निर्णय नहीं किया जा सकता । वसीयत असली है या नहीं , यह जांच का विषय है जिसे नामान्तकरण के दौरान नहीं देखा जा सकता । नामान्तकरण पदाधिकारी, नामान्तकरण के विषय में केवल सरसरी रूप से जांच करता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का रजिस्टर्ड वसीयत पर नामान्तकरण खोला जाना सही है । अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में ग्राम मण्डाना के इन्तकाल के मामले में जो नामान्तरणआदेश दिनांक 18.4.2023 में किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मांगी है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम मण्डाना के खाता संख्या 629 के खसरानम्बर 1760/908 रकबा 0.15 हे0, खाता संख्या 628 के 1814/908 रकबा 0.18 हे0, 2126/908 रकबा 0.13 हे0, 908 रकबा 0.13 हे0 किता–3 रकबा 0.44 हे0, व ग्राम दसलाना के खाता संख्या 174 के खसरा नम्बर 313 की 0.87 हे0, 314 की 0.62 हे0, 315 की 0.01 हे0, 316 की 0.76 हे0, 411 की 3.08 हे0 किता 5 रकबा 5.34 हे0 भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.2.2017 के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 18.4.2023 जारी किया गया । इस आदेश के विरूद्व यह अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 24.1.2024 को पेश की गई है, जो लगभग 8 माह विलम्ब से पेश है, जो मियाद बाहर है, किन्तु अपीलान्ट का कथन है कि निर्णय दिनांक 18.4.2023 रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 के पक्ष में एकपक्षीय आदेश होने से इस आदेश की उन्हें जानकारी नहीं हो सकी तथा सर्व प्रथम जानकारी तब हुई जब रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 द्वारा अपना जवाब माननीय अपर जिला न्यायाधीश कम 5 कोटा के समक्ष दिनांक 20.12.2023 को प्रस्तुत किया । तब दिनांक 21.12.2023 को ही इन्तकाल की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा 244 दिन डिले कन्डोन करने हेतु निवेदन किया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब में इसका खण्डन किया है अपीलान्ट के कथनानुसार रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 द्वारा अपना जवाब दावा दिनांक 20.12.2023 को प्रस्तुत करने पर आदेश की जानकारी होना बताया है जबकि जवाब दावे में इस आदेश दिनांक 18.4.2023 का कोई कथन नहीं है, वास्तविक रूप से इन्तकाल खोलने की जानकारी अपीलान्ट को उसी वक्त हो चुकी थी, तथा अपील प्रस्तुत करने की अवधि एक माह है, 244 दिन का डिले कन्डोन करने का सद्भाविक एवं युक्तियुक्त कारण नहीं बताया जाने से लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया है । लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया, जिससे यह जाहिर आया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्ट नं0 2 व 3 को सुन कर पारित किया गया है, तथा जिसकी प्रथम जानकारी दिनांक 20.2.2023 को अपीलान्ट द्वारा तब हुई जब रेस्पो0 नं0 2 व 3 ने सिविल न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में आदेश दिनांक 18.4.2023 का जिक्र करने पर होना बताया है, रेस्पोडेन्ट द्वारा इसका खण्डन किया गया है तथा उक्त जवाब में आदेश दिनांक 18.4.2023 का कोई कथन नहीं होना बताया है किन्तु पत्रावली पर उक्त जवाब की प्रति रेकार्ड पर नहीं होने से यह सिद्व नहीं हो रहा है कि उक्ज जवाब में इस आदेश का कथन नहीं हो । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के गुणावगुण पर निर्णय हेतु स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

7. अपीलान्ट का इस अपील में मुख्य कथन कि श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल पुत्र श्री धूलीलाल, जाति महाजन के नाम ग्राम दसलाना, की भूमि कुल किता 5 रकबा 5.34 हे0 कृषि भूमि दर्ज थी उक्त भूमि धूलीलाल खुवाल द्वारा अपने दो नाबालिग पुत्रों के नाम वर्ष 1944 में कय की गयी थी, इस आधार पर श्री लक्ष्मीनारायण खुवाल की यह भूमि पैतृक होती है एवं उनका पुत्र होने के नाते अपीलांट को उक्त भूमि पर जन्म से ही पैतृक अधिकार प्राप्त है । तथा लक्ष्मीनारायण जी खुवाल की मनोस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर अन्य दो पुत्र रेस्पो0 नं0 2 व 3 द्वारा दिनांक 15.2.2017 को स्वयं के पक्ष में कथित वसीयत निष्पादित करवा ली, तथा उक्त वसीयत का तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वसीयत का इन्तकाल हेतु जारी आदेश दिनांक 18.4.2023 सबज्यूडिश बताया है । इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वसीयत रजिस्टर्ड थी, जिसका नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा खोला जाना था जिसमें कोई त्रुटि नहीं है इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **आरआरडी सन 2005 श्रीमती रक्षादेवी बनाम पशुपतिनाथ व अन्य पेज नं0 87 पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 07 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय व अपनी रूलिंगस का हवाला देते हुए पेज नं0 89 पर माना है कि नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राई टाईटल का निर्णय नहीं किया जा सकता । वसीयत असली है या नहीं , यह जांच का विषय है जिसे नामान्तकरण के दौरान नहीं देखा जा सकता ।** वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टान्त से हम सहमत है तथा इस प्रकरण में लागू होती है ।

8. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से हम सहमत है कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण अपील के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता है, अपीलाधीन आदेश रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है तथा वसीयत की प्रमाणितकता का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है तथा इस वसीयत के सम्बन्ध में भी माननीय सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होना जाहिर आया है, ऐसी स्थिति में वसीयत के प्रमाणिकरण सिविल न्यायालय से ही तय होनी है, इस अपील का प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस फर्द के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते ग्राम दसलाना की खसरा नम्बर 313,314,315,316 एवं 411 की भूमि का इंतकाल नहीं खोलने का तहसीलदार लाडपुरा को दिनांक 9.11.2020 को प्रस्तुत करना बताया है किन्तु केवल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन करना कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश कम 1 दक्षिण कोटा में वाद

जिला कलेक्टर
कोटा

विचाराधीन होने का कथन करने मात्र से इंतकाल की कार्यवाही तहसीलदार नहीं रोक सकता है जब तक कि सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं हो जाता ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि प्रस्तुत अपील रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.4.2023 वास्ते वसीयत के मुताबिक नामान्तकरण खोलने का जारी किया गया है, इसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । वसीयत का प्रमाणिकरण सिविल न्यायालय से होना है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

10. निर्णय आज दिनांक 13.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा